

#### असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

# **PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 169]

नर्ड दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2014/चैत्र 10, 1936

No. 169]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2014/CHAITRA 10, 1936

# कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सा.का.नि. 237 (अ). —केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 123 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में निम्नलिखित परिवर्तन करती है, अर्थात्:—

- 1. अनसूची 2 में
- (1) भाग 'क' में पैरा 3 में, उप-पैरा (i) से (iii), के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: —
- "(i) किसी आस्ति का उपयोग जीवन भाग 'ग' में विनिर्दिष्ट उपयोग जीवन से अधिक नहीं होगा और किसी आस्ति का अविशष्ट मूल्य आस्ति के मूल लागत के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगाः

परंतु यह कि जहां कोई कंपनी किसी आस्ति के उपयोग जीवन या अवशिष्ट मूल्य, जो उपर्युक्त सीमाओं से भिन्न है, तो उसे भिन्न होने का न्यायोचित्व अपने वित्तीय विवरण में प्रकट करना होगा।

(ii) अमूर्त आस्तियों के लिए, तत्समय प्रवृत्त लेखा मानकों के उपबंध लागू होंगे, सिवाय सडक परियोजनाओं की दशा में 'निर्माण, प्रचालन और अंतरण', 'निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण' अथवा सार्वजनिक-निजी भागीदारी रास्ते के किसी अन्य रूप के अधीन अमूर्त आस्तियों (पथकर सडकें) के मामलों के—

ऐसे मामलों में क्रमिक अपाकरण निम्नलिखित रूप से किया जा सकेगा:-

# (क) <u>क्रमिक अपाकरण की रीति</u> क्रमिक अपाकरण क्रमिक अपाकरण की दर =

- × 100

अमूर्त आस्तियों की लागत (क)

क्रमिक अपाकरण की राशि

वर्ष हेतु वास्तविक राजस्व (ख)

= अमूर्त आस्तियों की लागत (क) ×

अमूर्त आस्तियों से प्रक्षिप्त राजस्व (रियायत अवधि के अंत तक) (ग)

(ख) विशिष्टियों के अर्थ निम्नलिखित हैं:-

अमूर्त आस्तियों की लागत (क)

= लेखा मानकों के अनुसार कंपनी द्वारा उपगत लागत

वर्ष हेत् वास्तविक राजस्व (ख)

= लेखा वर्ष के दौरान प्राप्त वास्तविक राजस्व (पथकर प्रभार)

अमूर्त आस्तियों से प्रक्षिप्त राजस्व (ग)

वित्तीय समाप्ति/सहमित के समय परियोजना के ऋणदाता को यथा उपलब्ध अमूर्त आस्तियों से प्राप्त कुल प्रक्षिप्त राजस्व

क्रमिक अपाकरण की राशि अथवा दर से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि अमूर्त आस्ति की सम्पूर्ण लागत का रियायत अवधि में क्रमिक अपाकरण हो गया है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में राजस्व का पुनर्विलोकन किया जाएगा और प्रक्षिप्त अनुमानित राजस्व को अनुमानों में ऐसे परिवर्तनों, यदि कोई हो, को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाएगा, जिससे रियायत अवधि के अंत में वास्तविक संग्रहण किया जाएगा।

# (ग) उदाहरण:-

अमूर्त आस्तियों के सृजन की लागत

500/- करोड़ रुपए

करार की कुल अवधि

20 वर्ष

अमूर्त आस्तियों के सृजन में लगा समय

2 वर्ष

अमूर्त आस्तियों के क्रमिक अपाकरण हेत् समय

18 वर्ष

इसके <mark>लिए</mark> यह माना जाए कि पूरी अवधि में अमूर्त आस्तियों से उत्पन्न <mark>कुल राजस्व निम्नलिखित रीति से 600 करोड़</mark> रुपए होगाः—

वर्ष संख्या	राजस्व (करोड़ रुपए में)	टिप्पणी
वर्ष 1	5	वास्तविक
वर्ष 2	7.5	अनुमानित*
वर्ष 3	10	अनुमानित*
वर्ष 4	12.5	अनुमानित*
वर्ष 5	17.5	अनुमानित*
वर्ष 6	20	अनुमानित*
वर्ष 7	23	अनुमानित*
वर्ष 8	27	अनुमानित <sup>*</sup>
वर्ष 9	31	अनुमानित <sup>‡</sup>
वर्ष 10	34	अनुमानित*
वर्ष 11	38	अनुमानित <del>*</del>
वर्ष 12	41	अनुमानित*

वर्ष 13	46	अनुमानित*
वर्ष 14	50	अनुमानित <del>*</del>
वर्ष 15	53	अनुमानित*
वर्ष 16	57	अनुमानित*
वर्ष 17	60	अनुमानित*
वर्ष 18	67.5	अनुमानित*
योग	600	

# '\*' वित्त वर्ष के अंत में वास्तविक होगाः

इसके आधार पर प्रथम वर्ष के लिए प्रभार 4.16 करोड़ रुपए (लगभग) (अर्थात् 5/- रुपए/600 रुपए × 500 करोड़ रुपए) जो लाभ और हानि पर प्रभारित किया जाएगा तथा प्रथम वर्ष के लिए क्रमिक अपाकरण की दर 0.83% (अर्थात 4.16 करोड़ रुपए/500 रुपए × 100) हैं।

जहां कोई कंपनी लागू लेखा मानकों के अनुसार किसी रीति से उक्त अमूर्त आस्तियों के संबंध में क्रमिक अपाकरण राशि की गणना करती है, वहां वह उसे प्रकट करेगी।"

- (2) भाग 'ग' में, पैरा 5 की, मद IV की, उप-मद (i) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-
- "(ख) लगातार प्रक्रिया संयत्र जिसके लिए नीचे (ii) के अधीन

कोई विशेष दर विहित नहीं की गई है [एनईएसडी]

25 वर्ष"।

- (3) भाग 'ग' के पश्चात् आने वाली 'टिप्पणी' शीर्षक के अधीन पैरा 5 का लोप किया जाएगा।
- 2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होगी।

[ फा. सं. 17/60/2012-सीएल-V] रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2014

- G.S.R. 237 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 123 read with sub-sections (1) of Section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following alterations to Schedule II to the said Act, namely:—
- 1. In Schedule II,---
- (1) in Part 'A', in para 3, for sub-paragraphs (i) to (iii), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-
  - "(i) The useful life of an asset shall not be longer than the useful life specified in Part 'C' and the residual value of an asset shall not be more than five per cent of the original cost of the asset:

Provided that where a company uses a useful life or residual value of the asset which is different from the above limits, justification for the difference shall be disclosed in its financial statement.

"(ii) For intangible assets, the provisions of the accounting standards applicable for the time being in force shall apply, except in case of intangible assets (Toll Roads) created under 'Build, Operate and Transfer', 'Build, Own, Operate and Transfer' or any other form of public private partnership route in case of road projects. Amortisation in such cases may be done as follows:

#### (a) Mode of amortization

	Amortisation Amount
Amortisation Rate =	× 100
	Cost of Intangiole Assets (A)
Amortisation Amount	••.
	Actual Revenue for the year (B)
= Cost of Intangible Assets (A)	×
	Projected Revenue from Intangible Asset
	(till the end of the concession period) (C)

#### (b) Meaning of particulars are as follows:—

Cost of Intangible Assets (A)

Cost incurred by the company in accordance with the

accounting standards.

Actual Revenue for the year (B)

Actual revenue (Toll Charges) received during the

accounting year.

Projected Revenue from Intangible

Asset (C)

Total projected revenue from the Intangible Assets as provided to the project lender at the time of financial

closure /agreement.

The amortisation amount or rate should ensure that the whole of the cost of the intangible asset is amortised over the concession period.

Revenue shall be reviewed at the end of each financial year and projected revenue shall be adjusted to reflect such changes, if any, in the estimates as will lead to the actual collection at the end of the concession period.

#### (c) Example:--

Cost of creation of Intangible Assets

Rs. 500 Crores

Total period of Agreement

20 Years

Time used for creation of Intangible Assets

2 Years

Intangible Assets to be amortised in

18 Years

Assuming that the Total revenue to be generated out of Intangible Assets over the period would be Rs. 600 Crores, in the following manner:—

V	D (1 D C	Remarks
Year No.	Revenue (In Rs. Crores)	
Year 1	5	Actual
Year 2	7.5	Estimate *
Year 3	10	Estimate *
Year 4	12.5	Estimate *
Year 5	17.5	Estimate *
Year 6	20	Estimate *
Year 7	23	Estimate *
Year 8	27	Estimate *
Year 9	31	Estimate *
Year 10	. 34	Estimate *
Year 11	38	Estimate *
Year 12	41	Estimate *
Year 13	46	Estimate *
Year 14	50	Estimate *
Year 15	53	Estimate *
Year 16	57	Estimate *

Year 17	60	Estimate *
Year 18	67.5	Estimate *
Total	600	

'\*' will be actual at the end of financial year.

Based on this the charge for first year would be Rs. 4.16 Crore (approximately) (i.e. Rs. 5/Rs. 600 x Rs. 500 Crores) which would be charged to profit and loss and 0.83% (i.e. Rs. 4.16 Crore/ Rs. 500 Crore x 100) is the amortisation rate for the first year.

Where a company arrives at the amortisation amount in respect of the said Intangible Assets in accordance with any method as per the applicable Accounting Standards, it shall disclose the same.".

- (2) in Part 'C', in para 5, in item IV, in sub-item (i), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—
- "(b) continuous process plant for which no special rate has been prescribed under (ii) below [NESD]

25 years".

- (3) under the heading 'Notes', appearing after Part 'C', paragraph 5 shall be omitted.
- 2. This notification shall come into force with effect from 01 April, 2014.

[F. No. 17/60/2012-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.